P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-8* November- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित सर्व शिक्षा अभियान (2000) एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक अध्ययन

रिशी राठौर
शोधार्थी,
शिक्षा संकाय
मंगलायतन विश्वविद्यालय,
अलीगढ़

सारांश

प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु नवम्बर 2000 से संचालित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण नहीं कर सका। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून बनाया गया। परन्तु वर्तमान समय तक प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है। प्राथमिक शिक्षा में यह देखा गया कि प्रारंम्भिक शिक्षा में जितने बालक प्रवेश लेते है उनमें से सभी बालक प्राथमिक शिक्षा के स्तर को पूरा नहीं कर पाते हैं, प्राथमिक शिक्षा के अंतिम स्तर तक पहुंचते–पहुंचते इनकी संख्या आधी रह जाती है। इस कारण से इन बालकों पर राष्ट्र सम्बन्धी धन एवं समय का अपव्यय होता है और बालक भी अशिक्षित रह जाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों की उपस्थिति भी चिंताजनक है। सरकार द्वारा बालकों को प्राथमिक विद्यालयों में आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे है, परन्तु स्थिति में अपेक्षित सुधार नही हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों मे प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का अभाव है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात भी सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुरूप नहीं है। शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून लागू होने के 8 वर्ष पश्चात् भी 6–14 वर्ष तक के सभी वालकों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की अन्य समस्याएं जैसे– प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, उपयुक्त वातावरण का अभाव, विद्यालय भवनों का अभाव आदि भी सरकार के समक्ष हैं। इन प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करना सरकार के समक्ष एक अत्यन्त गंभीर चुनौंती के समान है। अध्ययन में देखा गया कि अधिकांश क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव है।

मुख्य शब्द : प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा अधिकार अधिनियम, क्रियान्वयन।

प्रस्तावना

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के विकास के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम युग मे प्रवेश किया, संसार के सभी प्रगतिशील देशों की तरह भारत ने भी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनुच्छेद–45 के जरिए 1951 में यह बायदा किया था कि राज्य इस संविधान लागू होने की तारीख के दस साल के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे लेकिन इसको अमलीय जामा पहनाने में सरकार को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर शिक्षा को सार्वभौमिक अधिकार बनाने वाली योजनाओं को लागू करने एवं इन योजनाओं की सफलता को लेकर कई स्तरों पर संशय था क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत की शिक्षा प्रणाली न केवल संख्यात्मक दृष्टि से बहुत छोटी थी वरन् संरचनात्मक विसंगतियों से भी भरी पड़ी थी, स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की कुल जनसंख्या में केवल 14 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी केवल एक तिहाई बच्चे ही प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित थे इसलिए एक बिकासोंन्मुख समाज की स्थापना हेतु शिक्षा की समुचित व्यवस्था आवश्यक थी। तत्कालीन भारत सरकार के पास इन समस्याओं के निराकरण हेतु ठोस योजनाओं के निर्माण एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट का अभाव था, इसी कारण

उस समय राष्ट्रीय स्तर पर किसी ठोस योजना की शुरूआत नहीं हो सकी। भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा अपने स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु अलग–अलग प्रयास किये गये। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए प्रयास किये। इन योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। किन्तु काफी लम्बे समय बाद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूर्ण न हो पाने पर अक्टूबर 1998 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर नवम्बर 2000 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। शिक्षा का अधिकार कानून संसद में 04 अगस्त 2009 को पारित हुआ। इसके तहत 06 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में पूर्ण कालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। एक अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम का प्रभाव

देश के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2010 तक प्रत्येक दशा में कक्षा 1 से 8 तक अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 के बजट में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की घोषणा की गयी थी। पुनः वर्ष 2001–2002 के बजट में इस अभियान के प्रति सरकार द्वारा प्रतिबद्धता दर्शाये जाने से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में पुनः एक बार आशा का संचार हुआ। अभियान के भली–भांति संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति हेतु 9000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट प्रति वर्ष इस अभियान पर व्यय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस महत्वपूर्ण अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के साथ–साथ उसके उपयोगी होने पर भी पूरा–पूरा ध्यान दिया गया। अगले 10 वर्षों के अन्दर निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु इस अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के साथ–साथ सभी राज्य सरकारों का भरपूर सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की गयी। इस प्रकार इस अभियान के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों की समुचित भागीदारी से देश के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक निःशुल्क और गुणवत्तापरक समयबद्ध समेकित शिक्षा देने का प्रयास करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में समूचा देश शामिल किया गया, सिर्फ गोवा राज्य के। 2004–05 के दौरान अभियान के अंतर्गत 598 जिलों की वार्षिक कार्ययोजनाएं अनुमोदित की गई। इस कार्यक्रम में ऐसी बस्तियों में नये स्कूल स्थापित करना, जहां कोई स्कूली सुविधाएं मौजूद नहीं हैं तथा अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल अनुरक्षण अनुदान तथा स्कूल सुधार अनुदान के प्रावधानों के माध्यमों से स्कूलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ और उपयोगी बनाने का प्रयास किये गए। कार्यक्रम के तहत अपर्याप्त शिक्षक वाले मौजूदा स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराने के प्रयास किये गए। सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार उन बस्तियों में नये स्कूल बनाने का प्रयास किया गया जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और इसके अतिरिक्त शौचालय, पीने के पानी का रख–रखाव, अनुदान और स्कूल–सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों के विकास का प्रयास भी किया गया तथा जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस योजना के तहत मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान द्वारा सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है। तकनीकि आधारित शिक्षा के अन्तराल को कम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कई अन्य कार्यक्रम जैसे– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बाल समन्वित विकास योजना व आंगनबाड़ी, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा, मिड–डे मील योजना, महिला समाख्या आदि का भी संचालन किया जा रहा है। आज बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त भी कई योजनाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, परन्तु इन प्रयासों के पश्चात् भी यदि बालिकाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा। इसी बीच शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला पाए छात्र–छात्राओं के साथ भेदभाव की बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार ने स्कूलों के लिए नये दिशा–निर्देश भी जारी कर दिए हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने से बालिका शिक्षा को प्रगति मिलने की सम्भावना है। इसके साथ ही यदि पिछले कुछ दशकों में भारत में दलित समाज की शिक्षा पर दृष्टि डाली जाए तो जहां एक ओर कई लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताएं उनकी स्थिति मजबूत करती हैं और सुधरती नजर आती हैं वहीं दूसरी ओर ज्ञान के केन्द्रों में उंच–नीच का भेदभाव नजर आता है। देश में अनुसूचित जाति के 52 प्रतिशत, जबकि जनजाति के 63 प्रतिशत बच्चे छठी कक्षा का मुंह नही देख पाते। विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर दलित बच्चों की इस स्थिति का कारण, निम्न आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि उनके साथ किया जाने वाला जातिगत भेदभाव है। विभिन्न अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में जातीय भेदभाव के चलते छात्र न केवल हीन भावना के शिकार हो रहे हैं बल्कि कई बार तो अपमान और उपेक्षा के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। शिक्षा के अधिकार का हनन देश की बालिकाओं और दलित छात्रों के साथ ही

नहीं हो रहा, यही स्थिति विशेष बच्चों की भी है। संविधान के अनुसार 18 साल तक के विशेष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व सरकार का है। फिर भी आज इस समय देश भर में करीब 2 करोड़ विशेष बच्चे हैं जिनमें से एक प्रतिशत से भी कम बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अतः सरकार द्वारा विशेष बच्चों की शिक्षा हेतु अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून संसद में 04 अगस्त 2009 को पारित हुआ। इसके तहत 06 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में पूर्ण कालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। एक अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया है। अब यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए कानूनी बाध्यता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी को सुलभ हो सके। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार प्रत्येक बच्चे की आठवीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई के लिए जिम्मेदार होगी, चाहे वह बालक हो या बालिका अथवा किसी भी वर्ग का हो। इस प्रकार इस कानून ने देश के बच्चों को मजबूत, साक्षर और अधिकार संपन्न बनाने का मार्ग तैयार कर दिया है। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चों, बाल मजदूरों, प्रवासी बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर ऐसे बच्चों को– जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से वंचित बच्चों में शामिल हैं– मिलेगा। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ ही यह उम्मीद भी है कि इससे विद्यालय छोड़ने तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से दी जा सकेगी। इस अधिनियम में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करके उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सके। यदि विचार किया जाए तो आज देश भर में स्कूलों से वंचित लगभग 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सचमुच हमारे लिए एक दुष्कर कार्य है। इसलिए इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी हितधारकों– माता–पिता, शिक्षकों, स्कूलों, गैर–सरकारी संगठनों और कुल मिलाकर समाज, राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार की ओर से एकजुट प्रयास का आहवान किया गया है।

साहित्यावलोकन

सिंह, वजिंदर (2015) ने हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान का एक मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से निष्कर्ष प्राप्त हुए कि वर्ष 2010–11 में हरियाणा राज्य के 4 जिलों अंवाला, रेवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर में सिर्फ 4 नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई तथा बर्ष 2011–12 में इन 4 जिलों में किसी भी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई। 98.07 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय सरकारी भवनों में संचालित हो रहे थे। बर्ष 2010–11 में चारों जिलों के 189719 छात्रों को प्राथमिक स्तर पर तथा 120948 छात्रों को उच्च प्राथमिक स्तर पर पुस्तकों का वितरण किया गया। सभी अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी थी। 44656 छात्रों को प्राथमिक स्तर पर यूनीफॉर्म का वितरण किया जा चुका था तथा 22105 छात्रों को उच्च प्राथमिक स्तर पर यूनीफॉर्म का वितरण किया जा चुका था। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं पायी गयी। कम्प्यूटर शिक्षा के लिए अलग शिक्षक भी नहीं थे।यह भी पाया गया कि हरियाणा राज्य में बर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया गया।

हुसैन, देलोबर (2013) ने असम के बारपेटा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन का मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से निष्कर्ष प्राप्त हुए कि जिले के 98.89 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री प्राप्त हो गई थी तथा 100 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री प्राप्त हो गयी थी। शिक्षकों को बर्ष के प्रारंभ में ही निशुल्क पुस्तकें प्राप्त हो गई थी और वे इनकी गुणवत्ता से संतुष्ट थे। अधिकांश शिक्षकों ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। अधिकतर शिक्षकों द्वारा बताया गया कि उनके विद्यालय का भवन अच्छा और मानक के अनुरूप है, अधिकतर शिक्षकों ने माना कि विद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि सर्व शिक्षा अभियान योजना द्वारा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में सुधार हुआ है। अधिकांश प्राथमिक शिक्षकों तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों ने माना कि विद्यालय के कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता होनी चाहिये। इससे विद्यालय व समुदाय में मजबूत सम्बन्ध का निर्माण होता है।

यादव, ममता (2015) ने फैजाबाद जनपद की प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक प्रगति में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका पर अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से निष्कर्ष प्राप्त हुए कि जनपद के अधिकतर ब्लॉकों में विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है, वहां न तो भौतिक सुबिधाएं है और न ही पर्याप्त शिक्षक है, कुछ विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के समय साफ–सफाई पर ध्यान दिया जाता है तो कुछ विद्यालयों में साफ–सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकांश अध्यापक पढाने की बजाय अन्य कार्यों में व्यस्त रहते है। अधिकतर विद्यालयों में बच्चे पढने की बजाय अन्य कार्यों में व्यस्त थे, कुछ विद्यालयों में बच्चे ध्यानपूर्वक पढाई कर रहे थे। अधिकतर विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तथा कम्प्यूटर शिक्षा के लिए अलग शिक्षक भी नहीं थे। सर्व शिक्षा अभियान के पश्चात् अधिकांश विद्यालयों में नामांकन दर बढी है, लेकिन कुछ प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में कमी पायी गई। नामांकन दर में कमी के अनेक कारण जैसे– घरेलू कारण, व्यक्तिगत कारण, विद्यालयी कारण हैं। इनमें सबसे प्रभावी घरेलू कारण है, जिसमें माता–पिता का अशिक्षित होना, गरीबी, भाई–बहन की देखभाल आदि है। व्यक्तिगत कारणों में स्वास्थ का ठीक न होना, पढाई के प्रति अरूचि आदि है तथा विद्यालयी

कारणों में शिक्षकों का बुरा बर्ताब, बोझिल पाठ्यक्रम, विद्यालय का घर से दूर होना आदि हैं।

शर्मा, मुदिता (2016) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया। उक्त अध्ययन मे प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण के पश्चात् ज्ञात हुआ कि 92 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के भवन की स्थिति अच्छी है तथा 77.8 प्रतिशत विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षण कक्ष है। 83.3 प्रतिशत विद्यालयों फर्नीचर की सुविधा है तथा प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था है। मिड डे मील के लिए 27.8 प्रतिशत विद्यालयों में ही रसोई है तथा यह भी देखा गया कि किसी भी विद्यालय की रसोई ठीक ढंग से व्यवस्थित नही है। पुस्तकालय की सुविधा 83.3 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध थी तथा 72.2 प्रतिशत विद्यालयों शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध थी। 61.1 प्रतिशत विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त है तथा 83.3 प्रतिशत विद्यालयों में कम्प्यूटर लैव की व्यवस्था है।

शेमली (2017) ने सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 11–14 वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के विकास में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन किया। उक्त अध्ययन में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि यह विद्यालय अधिकतर आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं। विद्यालयों में 87.5 प्रतिशत विद्यालयों के बाहर का क्षेत्र साफ–सुथरा व हरियाली से युक्त है। विद्यालयों में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था है। 75 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाएं शिक्षण कार्य मेज पर बैठ कर करती हैं। विद्यालयों के पुस्तकालयों में पाठ्य–पुस्तकें व अन्य रोचक जानकारियों व कहानियों की पुस्तकें हैं। विद्यालयों के शयन कक्ष के फर्नीचर, रसोई कक्ष तथा भोज्य–पदार्थो की गुणवत्ता की स्थिति को सामान्य पाया गया। कक्षा–कक्ष में लगे हुए 75 प्रतिशत विद्यालयों के श्यामपट्ट की स्थिति सामान्य पायी गई। विद्यालयों में बालिकाओं, शिक्षक–शिक्षकाओं व अन्य कर्मचारियों के अनुपात में, तथा अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिए कक्षों की संख्या पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों में कम्प्यूटरों की संख्या बालिकाओं के अनुपात में नहीं हैं। विद्यालयों की 200 बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि के प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि बालिकाओं के अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताकों की तुलना में वार्षिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताकों में सकारात्मक प्रगति हुई है। विद्यालयों में बालिकाओं के लिए प्राथमिक उपचार पेटिका उपलब्ध है, परन्तु 87.5 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां रोगावस्था में बालिकाओं के लिए रोगी कक्ष की सुविधा नही है।

कुमार, विनय (2017) ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (2009) के क्रियान्वयन का अध्ययन किया। उक्त अध्ययन झारखण्ड राज्य के दो जिलों छात्रा और हजारीबाग के अर्न्तगत किया गया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि 10 प्रतिशत बालक ही प्रतिदिन विद्यालय मे उपस्थित रहते हैं। 31 प्रतिशत विद्यालयों में बाउण्ड्री है तथा 40 प्रतिशत विद्यालयों में ही खेल के मैदान हैं। 40 प्रतिशत विद्यालयों में ही छात्र–शिक्षक अनुपात शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक के अनुरूप है तथा 35 प्रतिशत विद्यालयों में ही विषय के अनुसार शिक्षक है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अधिकांश अध्यापको तथा प्रधानध्यापकों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अभाव है। प्राथमिक विद्यालयों हेतु अधिक वजट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यालय द्वारा बालकों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, प्रयोगशाला के उपकरण की व्यवस्था की जा सके।

शोध पत्र के उद्देश्य

1. प्राथमिक शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कहां तक उन्नति हुई है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कितने मानकों को पूरा किया जा रहा है।
2. सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को विद्यालय पूरा कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे है।
3. प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कौन–कौन सी समस्याएं तथा बाधाएं आ रही हैं।

शोध पत्र का महत्व

वर्तमान समय में भारत में जितनी भी समस्याएं व्याप्त हैं जैसे–जनसंख्या बिस्फोट, बेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियां, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि सभी अशिक्षा की देन है यदि समाज शिक्षित है तो इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। सरकार द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु कई प्रयास किये गये है और आज भी सरकार की कोशिश जारी है जिसमें उसने सम्पूर्ण समाज को शिक्षित करने का वीड़ा उठाया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम का संचालन किया लेकिन यह देखा गया है कि यह योजनाएं पूर्णतः क्रियान्वयित न हो सकी, ऐसा कई कारणों से संभव होता है जो इन योजनाओं के पूर्णतः क्रियान्वयित न हो सकने के लिए उत्तरदायी है अतः इन कारणों को पहचानने के लिए यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जनपद के प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित किया गया है।

अध्ययन की इकाई

प्रस्तुत अध्ययन हेतु मैनपुरी जनपद के नगर क्षेत्र में स्थित इक्कीस प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन की इकाई के रुप में चयन किया गया वे वे क्रमशः इस प्रकार हैं–

1. प्राथमिक विद्यालय, छपट्टी, मैनपुरी नगर।
2. प्राथमिक विद्यालय, न्यू गाड़ीवान, मैनपुरी नगर।
3. प्राथमिक विद्यालय, अबध नगर, मैनपुरी नगर।
4. प्राथमिक विद्यालय, देवी रोड, मैनपुरी नगर।
5. प्राथमिक विद्यालय, पुरानी मैनपुरी, मैनपुरी नगर।

6. प्राथमिक विद्यालय, ट्यूबबैल न0–2,मैनपुरी नगर।
7. प्राथमिक विद्यालय, इस्लामिया, मैनपुरी नगर।
8. प्राथमिक विद्यालय, चौथियाना, मैनपुरी नगर।
9. प्राथमिक विद्यालय, गोला बाजार, मैनपुरी नगर।
10. प्राथमिक विद्यालय, गंज, मैनपुरी नगर।
11. प्राथमिक विद्यालय, शिशु उद्यान, मैनपुरी नगर।
12. प्राथमिक विद्यालय, दाशनी, मैनपुरी नगर।
13. प्राथमिक विद्यालय, नवीन छपट्टी, मैनपुरी नगर।
14. प्राथमिक विद्यालय, ताल दरवाजा, मैनपुरी नगर।
15. प्राथमिक विद्यालय, पुलिस लाइन, मैनपुरी नगर।
16. प्राथमिक विद्यालय, पुरोहिताना, मैनपुरी नगर।
17. प्राथमिक विद्यालय, नगला पजाबा, मैनपुरी नगर।
18. प्राथमिक विद्यालय, स्टेशन रोड, मैनपुरी नगर।
19. प्राथमिक विद्यालय, बालक गंज, मैनपुरी नगर।
20. प्राथमिक विद्यालय, भरतवाल, मैनपुरी नगर।
21. प्राथमिक विद्यालय, आवास विकास, मैनपुरी नगर।

तथ्य एकत्रित करने में प्रयुक्त प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु मैनपुरी जनपद के नगर क्षेत्र में स्थित इक्कीस प्राथमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया तथा तथ्य एकत्रित करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक विद्यालयों के सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से सारणीयन एवं विश्लेषण के पश्चात् जो शोध के निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वे क्रमशः इस प्रकार हैं–

1. चयनित प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात मानक के अनुरुप पाया गया। परन्तु कुछ विद्यालयों में गणित व विज्ञान शिक्षको की कमी पायी गायी।
2. चयनित प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतर विद्यालय ऐसे हैं जहां सिर्फ 50–60 प्रतिशत छात्र ही उपस्थित होते हैं। अध्यापकों द्वारा छात्रों की अनुपस्थिति का प्रमुख कारण घर के कामों में व्यस्तता को माना गया है।
3. चयनित प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का उपलब्धि स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, छात्रों का गणित तथा अंग्रेजी विषयों में उपलब्धि स्तर अत्यन्त निम्न स्तर का था। अध्यापकों द्वारा छात्रों का उपलब्धि स्तर संतोषजनक नहीं होने का प्रमुख कारण परिश्रम के अभाव को माना गया है।
4. चयनित सभी प्राथमिक विद्यालयों में मिड–डे मील दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मिड–डे मील की गुणवत्ता भी संतोषजनक पायी गयी।
5. प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की ड्राप आउट की समस्या भी पायी गयी। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से 70 प्रतिशत छात्र ही कक्षा 5 उत्तीर्ण कर पाते है, इस प्रकार 30 प्रतिशत छात्र विभिन्न कारणों से प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किये बिना ही बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। अध्यापकों द्वारा ड्राप आउट की समस्या का प्रमुख कारण छात्रों की आर्थिक स्थिति को माना गया।
6. प्राथमिक विद्यालयों का भौतिक सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इन विद्यालयों के भवन की स्थिति संतोषजनक है, परन्तु अधिकतर विद्यालयो में खेल के मैदान की व्यवस्था नही थी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कुछ विद्यालयों मे छात्रों के पीने हेतु पानी की व्यवस्था भी नही थी।
7. चयनित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री जैसे– श्यामपट, चाक, तथा डस्टर की उपलब्धता पायी गयी, परन्तु शिक्षण हेतु अन्य उपयोगी शिक्षण सामग्री जैसे– चार्ट, नक्शे, रेडियो आदि का अभाव पाया गया।
8. प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा स्तर का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि छात्रों का आकांक्षा स्तर उच्च नही हैं। इसके लिए छात्रों में रूचि के अभाव को प्रमुख कारण माना गया।
9. प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम प्रारम्भ होने के पश्चात् अत्यधिक सुधार हुआ है। छात्रों की नामांकन संख्या बढ़ी है तथा छात्रों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें, यूनीफार्म आदि भी प्रदान की जा रही है।
10. सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल केवल छात्रों की नामांकन संख्या बढ़ने से नही होगा, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यता है। प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पाया गया कि कई छात्र हिन्दी की पुस्तक को नही पढ़ पाते है।
11. प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु समुदाय की भागीदारी अति आवश्यक है। प्राथमिक विद्यालय को समुचित रूप से चलाने में स्थानीय समुदाय पर्यवेक्षक का कार्य कर सकता है। छात्रों को विद्यालय में बनाए रखने का कार्य स्थानीय समुदाय की मदद से ही किया जा सकता है। अतः अध्यापकों तथा अभिभावकों को विद्यालय की प्रगति हेतु संगठित होकर समुचित प्रयास करना चाहिए।
12. सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कई अन्य योजनाएं भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, परन्तु अभिभावकों में इन योजनाओं के प्रति जागरुकता का अभाव है। इस कारण से वे इन योजनाओं द्वारा पूर्णतः लाभान्वित नही हो पाते हैं।
13. प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में पढ़ाई के प्रति रूचि का अभाव है, इसका प्रमुख कारण शिक्षक द्वारा कक्षा–शिक्षण में अपनायी जाने वाली शिक्षण पद्धति है। विद्यालयों में कक्षा–शिक्षण को रोचक बनाने हेतु उपयोगी दृश्य–श्रव्य सामग्री जैसे– कम्प्यूटर, टेलीविजन, प्राजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सी0डी0, डी0वी0डी0 आदि सामग्री का अभाव है।
14. प्राथमिक विद्यालयों का नियमित निरीक्षण भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नही किया जाता है। जिससे प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान समय से नही हो पाता है।

15. सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को समुचित रूप से क्रियान्वयित करने के लिए वांछित धनराशि की व्यवस्था करना तथा समयबद्ध तरीकों से उसके भलीभांति उपयोग को सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना भी सरकार के समक्ष एक बड़ी समस्या है।

उपरोक्त निष्कर्षो से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम से उम्मीद जताई जा रही है कि इनके संचालन के पश्चात् एक करोड़ बच्चों को सर्वाधिक लाभ होगा और भारत से निरक्षरता का अंत होगा। लेकिन ये सरकारी आंकड़े वास्तविकता से समानता नहीं रखते है। प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या अत्यधिक है परन्तु छात्रों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार के नाम पर यह कानून प्रत्येक बच्चे हेतु निःशुल्क शिक्षा और निकट ही एक सरकारी विद्यालय होने का दावा करता है किन्तु शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं आदि मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था में असफल प्रतीत होता है। यही कारण है कि आज सरकारी स्कूलों से छात्र पलायन कर रहे है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया तो गया है किन्तु उसकी प्राप्ति हेतु गुणवत्ता में भी सुधार करना होगा अन्यथा यह कानून मात्र कागज पर ही रह जाएगा। सरकार को प्राथमिक विद्यालयो की दशा सुधारने हेतु प्रतिबद्ध होना होगा, तभी सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2004), ''सर्व शिक्षा अभियान'', एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली।*
2. *इडानी, दीपा (2017), ''राइट टू एजूकेशन एंड स्कूलिंग'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।*
3. *एम0एच0आर0डी0 (2011), ''सर्व शिक्षा अभियान'', शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।*
4. *कुमार, संजय (2009), ''सर्व शिक्षा अभियान'', अल्फा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।*
5. *कुमार, विजय (2012), ''राइट टू एजूकेशन एक्ट 2009'', आकांक्षा पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली।*
6. *गर्ग, आर0के0 (2013), ''सर्व शिक्षा भारत की प्रगति एवं भविष्य'', मानस पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।*
7. *गुप्ता, प्रयोत (2008), ''एलीमेंटरी एजूकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान'', अनमोल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।*
8. *गुप्ता, आर0के0 (2015), '' जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'', शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली।*
9. *पाठक, चन्द्र भूषण (2012), "शिक्षा का अधिकार", अनुभव पब्लिसिंग हाउस, इलाहाबाद।*
10. *पाण्डेय, बृजेश कुमार (2016), ''सर्व शिक्षा अभियान के आयाम'', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।*
11. *बाफना, राजेन्द्र (2017), ''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून'', बाफना पब्लिसिंग हाउस, जयपुर।*
12. *मंडल, अजीत (2012), ''राइट टू एजूकेशन'', ए0पी0एच0 पब्लिसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली।*
13. *महरोत्रा, ममता (2015), ''शिक्षा का अधिकार'', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।*
14. *रमन, राजेश (2017), ''स्कूली शिक्षा और मिड–डे मील योजना, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली।*
15. *शीला, के0ए0 (2016), ''सर्व शिक्षा अभियान'', नील कमल पब्लिकेशन्स, हैदराबाद।*
16. *सलाम, जिबानलाता (2013), ''स्टेट, सिविल सोसायटी एंड राइट टू एजूकेशन'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।*
17. *सिंह, शगुन (2017), ''सर्व शिक्षा अभियान'', आयुष्मान पब्लिकेशन्स हाउस, नई दिल्ली।*